प्रेषक,

एन0एच0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 सितम्बर, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्थान को गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में आवंटित भूखण्ड संख्या- 7/31 व 7/32 क्षेत्रफल 77951.46 वर्गमीटर को क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-765/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2017, दिनांक 07 जून, 2017 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में आवंटित भूखण्ड संख्या- 7/31 व 7/32 क्षेत्रफल 77951.46 वर्गमीटर को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-36/2016/482/71-2-16-आर0एम-26/2014, दिनांक 14-3-2016 द्वारा रू0 1,58,63,17,711/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 39,65,79,428/- की धनराशि एवं शासनादेश संख्या-37/2017/631/71-2-17-आर0एम-26/2014, दिनांक 23-3-2017 द्वारा रू0 64.98 करोड तथा शासनादेश संख्या-43/2017/1013/71-2-17-आर0एम-26/2014, दिनांक 31-3-2017 द्वारा रू0 16.64 करोड की धनराशि अर्थात कुल रू0 121,27,79,428/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में आवंटित भूखण्ड संख्या- 7/31 व 7/32 क्षेत्रफल 77951.46 वर्गमीटर को क्रय किये जाने हेतु अवशेष रू0 37,35,38,283/- (रूपया सैतीस करोड पैतीस लाख अडतिस हजार दो सौ तिरासी मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
3) संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। संस्थान द्वारा धनराशि का आहरण एवं व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
4) प्रस्तावित भूमि डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान के नाम रजिस्टर्ड विलेख के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही निदेशक, संस्थान द्वारा की जायेगी।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा आहरित करते हुए नियमानुसार उक्त धनराशि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 62/2017/3619/(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) उपाध्यक्ष/सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, गोमतीनगर, लखनऊ।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4) महानिदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।